

संख्या: ३२९/X-४-१७/१(३५)/२०१७

प्रेषक,

अरविंद सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

✓ सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४

विषय: जनपद—नैनीताल के अंतर्गत नैनीताल मालरोड़ से घटगढ़ तक मार्ग के किनारे (कि०मी० ०० से कि०मी० २१ तक एन० एच०-४१) ०.६३ है, वन भूमि में आप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु आईडिया सेलुलर लिंग को वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के तहत अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-२९/FP/UK/Others/24711/2017, दिनांक ०५.०७.२०१७ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद—नैनीताल के अंतर्गत नैनीताल मालरोड़ से घटगढ़ तक मार्ग के किनारे (कि०मी० ०० से कि०मी० २१ तक एन० एच०-४१) ०.६३ है, वन भूमि में आप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु आईडिया सेलुलर लिंग को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-११-०९/९८-एफ०सी० दिनांक १६.१०.२०००, ०८.०४.२००९, शासनादेश संख्या एफ०न०-५-३/२००७-एफ०सी०, दिनांक ०५.०२.२००९ एवं एफ०न०-११-५६८/२०१४-एफ०सी०, दिनांक ०२.०२.२०१५ में उल्लिखित दिशा—निर्देशों/प्रदत्त प्राधिकार के तहत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान करते हैं:-

- वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि में अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित/कार्य की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
- उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
- फाईबर केबिल बिछाने का कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, फाईबर केबिल बिछाये जाने वाले भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

श्री डोमाल

नामा कर.

३/८/१७

- उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

इस प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
द्वारा संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

पंजीयन सं० ७३६
पत्रावली १४५
दिनांक ०३/८/१७

०१ अगस्त

देहरादून: दिनांक: अगस्त २०१७

9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित फाईबर केबिल बिछाये जाने के समय एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
 10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
 11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
 12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से फाईबर केबिल बिछाये जाने के दौरान/खुदाई के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
 13. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा योजनानुसार किया गया मक डिस्पोजल का निरीक्षण कर प्रमाण-पत्र भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
 14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल लाईन विछाने के कार्य के लिए अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल के पत्र संख्या-1453/६सी, दिनांक 08.09.2016 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या: ३२९ (१) / X-4-17/1(35)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, देहरादून।
5. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊ वृत्त, नैनीताल।
6. अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी, नैनीताल।
7. प्रबंधक, आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड, उत्तर प्रदेश (वेस्ट) सर्किल, ए-६८, सैक्टर-६४, नोएडा, उ०प्र०।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(आर० के० तोमर.)
संयुक्त सचिव।